पुनर्मूल्यांकन का परिणाम किसी भी स्थिति में पीईटी के लिए निर्धारित तिथि से पहले उपलब्ध हो सकता है।

(ii) यदि पुनर्मूल्यांकन परिणाम पीईटी के लिए निर्धारित तिथि से पहले उपलब्ध है, तो पुनर्मूल्यांकन परिणाम प्रतिस्थापित रूप से पात्रता को नियंत्रित करेगा।

(iii) यदि पीईटी के लिए निर्धारित तिथि तक पुनर्मूल्यांकन परिणाम उपलब्ध नहीं होता है, तो उम्मीदवार को अनंतिम रूप से पीईटी में बैठने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि पुनर्मूल्यांकन परिणाम की घोषणा के बाद उसकी उम्मीदवारी को विनियमित किया जाएगा, और

(iv) उपर्युक्त योग्यताओं और अपवादों को विश्वविद्यालय कैलेंडर के साथ-साथ प्रॉस्पेक्टस में भी उपयुक्त परिवर्तन/संशोधन द्वारा सक्रिय किया जाना चाहिए, अन्यथा, प्रॉस्पेक्टस का पैराग्राफ 5 (बी) संविधान के अनुच्छेद 14 के मनमाने, अनुचित और अनुचित होने की शरारत के अंतर्गत आएगा। भेदभाव के दोष से दूषित।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस याचिका को स्वीकार किया जाना तय है और विश्वविद्यालय को पुनर्मूल्यांकन परिणाम पर याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को विनियमित करने का निर्देश जारी किया जाता है क्योंकि परिणाम पीईटी के आयोजन से पहले घोषित किया गया था। याचिकाकर्ताओं को अपने जोखिम पर पीईटी में उपस्थित होने की अनुमति देने वाले अंतरिम आदेश भी इस अदालत द्वारा पीईटी के लिए निर्धारित तिथि से पहले पारित किए गए थे। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं को प्रतिस्थापित परिणाम और परिणामी लाभों का हकदार माना जाता है। याचिकाकर्ताओं को अपनी लागत चुकानी होगी।

एससीके

वी. रामाशिवमी, सीजे और उजागर सिंह से पहले, जे.

रघुराज सिंह और अन्य, -याचिकाकर्ता,

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

सिविल रिट याचिका संख्या 1987 का 9809

4 जनवरी 1988.

भारत का संविधान, 1950—आरआर्ट. 14-अप्रशिक्षित द्वारा याचिका

मास्टर्स-उनमें से कुछ ने बी.एड. योग्यता प्राप्त की है। मूल के बाद परीक्षा

नियुक्ति—प्रशिक्षित मास्टरों के लिए लागू रनिंग स्केल के लिए दावा—प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षकों के काम की प्रकृति और कर्तव्य—क्या बराबर किया जा सकता है—'समान काम के लिए समान वेतन' का सिद्धांत—की प्रयोज्यता—एक अवधि के लिए रनिंग स्केल के भुगतान के लिए दावा बी.एड पास करने से पहले परीक्षा-ऐसे दावे की योग्यता.

आयोजित, यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि एक प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा किया गया कार्य एक अप्रशिक्षित शिक्षक द्वारा किए गए कार्य के समान है। यदि कार्य को समान मानना है तो आवश्यक योग्यता निर्धारित करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक स्थायी कर्मचारी और एक ही काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी में अंतर नहीं किया जा सकता है, लेकिन जहां तक प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षक के काम या कर्तव्यों का संबंध है, निश्चित रूप से एक अंतर है। यह कुछ-कुछ वैसा ही होगा जैसे किसी कॉलेज में एक प्रोफेसर और एक लेक्चरर को इस आधार पर वेतन भुगतान के लिए मान लिया जाए कि वे एक ही विषय पर एक ही व्याख्यान देते हैं और इसलिए, उन्हें समान वेतन देना होगा। समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करने के लिए, एक प्रशिक्षित शिक्षक के शिक्षण को एक अप्रशिक्षित शिक्षक के समान नहीं कहा जा सकता है। याचिकाकर्ताओं में से कोई भी समूह प्रशिक्षित मास्टर्स के समान

वेतनमान का भुगतान करने का हकदार नहीं है। (पैरा 1)।

अनुच्छेदों के अंतर्गत याचिकाएँभारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 में प्रार्थना है कि:-

(i) ***प्रतिवादियों को संपूर्ण रिकॉर्ड इस माननीय न्यायालय के समक्ष रखने का निर्देश दिया जाए।***

(ii) ***यह माननीय न्यायालय परमादेश या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी कर सकता है, जिसमें उत्तरदाताओं को मास्टर्स के रूप में सरकारी सेवक में उनके मूल प्रवेश की तारीख से मास्टर्स के नियमित चालू वेतनमान देने का निर्देश दिया जा सकता है। जैसा कि प्रशिक्षित मास्टर्स को दिया जा रहा है, और याचिकाकर्ताओं के वेतन को ठीक करने के साथ-साथ उन्हें इस तरह के निर्धारण के परिणामस्वरूप बकाया राशि देने के लिए आगे निर्देश दे सकता है।***

(iii) ***याचिकाकर्ताओं को याचिका की लागत से सम्मानित किया जाए।***

जे।याचिकाकर्ता के वकील एम. सेठी।

प्रलय

वी. रामास्वामी, सी.जे

1. यह रिट याचिका मास्टर्स के एक समूह द्वारा दायर की गई है, जिनकी कुल संख्या 28 है, जिसमें एक परमादेश रिट के लिए प्रार्थना की गई है, जिसमें हरियाणा राज्य को उन्हें मास्टर्स के रनिंग स्केल प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

सरकारी सेवा में उनके मूल प्रवेश की तारीख, जैसा कि अन्य सभी प्रशिक्षित मास्टर्स को अनुमति दी जा रही है। यह समूह दो श्रेणियों में आता है, एक मास्टर्स का समूह जिन्हें मूल रूप से अप्रशिक्षित मास्टर्स के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने बी.एड. उत्तीर्ण किया। परीक्षा और परास्नातक के चल रहे पैमाने को देखते हुए और दूसरा समूह जो अप्रशिक्षित परास्नातक के रूप में कार्यरत थे और बी.एड. के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करते थे। इंतिहान। मास्टर्स के पहले समूह ने तर्क दिया कि यद्यपि उन्हें प्रशिक्षित मास्टर्स के रूप में वेतन उसी तिथि से दिया गया था जिस दिन उन्होंने बी.एड. उत्तीर्ण किया था। परीक्षा में उत्तीर्ण होने से पहले की अवधि के लिए उन्हें प्रशिक्षित मास्टर्स के समान वेतन नहीं दिया जाता है। बिस्तर। डिग्री। मास्टर्स के दूसरे समूह का दावा है कि वे प्रशिक्षित मास्टर्स के समान मास्टर्स के समान वेतनमान पाने के हकदार हैं। उनका दावा इस आधार पर है कि यद्यपि वे अप्रशिक्षित मास्टर हैं। फिर भी वे प्रशिक्षित मास्टरों जैसा ही कार्य या कर्तव्य करते हैं। समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर, वे प्रशिक्षित मास्टर्स के समान वेतनमान पाने के पात्र हैं। इस संबंध में, विद्वान वकील इस न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों पर भरोसा करते हैं। जीत सिंह बनाम एमसीडी, (1) में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक व्यक्ति जिसे अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था, वह समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर नियमित और स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन और भत्ते का भुगतान करने का हकदार है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि एक प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा किया गया कार्य एक अप्रशिक्षित शिक्षक द्वारा किए गए कार्य के समान है। यदि कार्य को समान मानना है तो आवश्यक योग्यता निर्धारित करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक स्थायी कर्मचारी और एक अस्थायी कर्मचारी जो एक ही काम करते हैं, उनमें अंतर नहीं किया जा सकता है, लेकिन जहां तक एक प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षक के कार्य क्यूआर कर्तव्यों का संबंध है, निश्चित रूप से एक अंतर है। यह एक कॉलेज के प्रोफेसर और लेक्चरर को इस आधार पर वेतन भुगतान के उद्देश्य से इलाज करने जैसा होगा कि वे एक ही विषय पर एक ही व्याख्यान देते हैं और इसलिए, उन्हें समान वेतन का भुगतान करना होगा। यदि इस सिद्धांत को एक प्रशिक्षित और एक अप्रशिक्षित शिक्षक के संबंध में लागू किया जाना है। भगवान दास बनाम हरियाणा राज्य, (2) में निर्णय जीत सिंह के मामले (सुप्रा) की तरह अस्थायी मास्टर्स की नियुक्ति से संबंधित था। में भी वही सिद्धांत निर्धारित किये गये थे

(1) एआईआर 1987 एससी 1781।
(2) एआईआर 1987 एससी 2049।

यह निर्णय भी, लेकिन जैसा कि पहले ही कहा गया है, निर्धारण का प्रश्न यह है कि क्या समान वेतन पाने के लिए काम समान है। जैसा कि हमने पहले कहा, हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करने के लिए एक प्रशिक्षित शिक्षक के शिक्षण को एक अप्रशिक्षित शिक्षक के समान ही कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य असूचित निर्णय, 1985 की सिविल अपील संख्या 31 और 32 में, 17 दिसंबर, 1984 को निर्णय लिया गया, स्थिति पूरी तरह से अलग थी। तिलक राज, मैथ मास्टर बनाम पंजाब राज्य, (3) में इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने माना कि एक प्रशिक्षित मास्टर का वेतनमान एक अप्रशिक्षित मास्टर के समान होना चाहिए। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं की और कुछ अप्रशिक्षित मास्टरों के सम्मान में उस फैसले को प्रभावी बना दिया। हालाँकि, बाद में इसकी एक डिविजन बेंच. शेरविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य, (4) में न्यायालय ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को खारिज कर दिया और माना कि एक प्रशिक्षित मास्टर और एक अप्रशिक्षित मास्टर को समान कार्य करने के बराबर नहीं किया जा सकता है और एक अप्रशिक्षित मास्टर को समान वेतन नहीं दिया जा सकता है। एक प्रशिक्षित मेसर के रूप में। इस फैसले के आधार पर राज्य सरकार ने अमल करने से इनकार कर दिया. अप्रशिक्षित मास्टर्स के संबंध में तिलक राज का मामला (सुप्रा) जिस पर निर्णय के अनुपात को प्रभावी नहीं किया गया था और वह प्रश्न केवल इस आधार पर उत्पन्न हुआ था कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया क्योंकि

अप्रशिक्षित मास्टरों का समूह इस आधार पर चिंतित था कि उन्होंने, अप्रशिक्षित मास्टरों के साथ, जिन्हें राज्य सरकार ने प्रभाव दिया था, एक समूह बनाया और एक समूह को प्रभाव देना और दूसरे को नकारना नहीं था। वैध। हम यह देखने में असमर्थ हैं कि विद्वान वकील इस फैसले पर कैसे भरोसा करते हैं। वास्तव में शेरविंदर कौर के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच का निर्णय विद्वान वकील के तर्क के खिलाफ है। वह फैसला अंतिम हो गया है और इसके खिलाफ अपील नहीं की गई है और एक तरह से डिवीजन बेंच का फैसला होने के कारण यह हमारे लिए बाध्यकारी है और इसलिए, हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि इस विशेष मामले में, दोनों में से कोई भी समूह याचिकाकर्ता प्रशिक्षित मास्टर्स के समान वेतनमान पाने के हकदार हैं, तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

(3) 1977 का सीडब्ल्यूपी 656 18 मई 1977 को तय किया गया।
(4) 1977 के सीडब्ल्यूपी 3676 का निर्णय 12 सितंबर 1979 को हुआ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जितेश कुमार शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

झज्जर, हरियाणा